

# ORDER SHEET

11-155  
C.J.(E)

THE COURT

12/17 ई.सं.

Of 20

राष्ट्रीय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
नैनीताल जिला सिविल कोर्ट

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
20.01.17	<p>आरक्षी केन्द्र गोहर-चौराहा की ओर से आरक्षक अनिल राम नम्बर ..... द्वारा संबंधित थाने के अप0क0 01/17 अतर्गत धारा 34(3) पुलिस एक्ट के अधीन अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोगपत्र/परिवाद धारा 173 द0प्र0स0 के अधीन केन्द्रीय पंजीयन प्रारूप फार्म की दो प्रतियों में विधिवत् प्रस्तुत किया गया।</p> <p>राज्य द्वारा ए डी पी ओ श्री शिवरवार अभियुक्त/अभियुक्तगण सहित/द्वारा ..... प्रकरण में धारा 190-1 द0प्र0स0 के अधीन संज्ञान लिये जाने का आधार अभियुक्त/अभियुक्तगण शमेश रवतीक S/O अजुहरीन उम्र 55 वर्ष नि. गोहर-चौराहा के विरुद्ध प्राये जाने से उनका संज्ञान लिया गया।</p> <p>अभियुक्तगण को न्यायालय की अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण को द0प्र0स0 की धारा 207 के अधीन अभियोगपत्र की संमस्त विहित नकलें/छायाप्रति प्रदान की गई। पावती अंकित कराई जाए प्रकरण में मुददे माल प्रस्तुत/प्रस्तुत नहीं।</p> <p>अभियुक्त/अभियुक्तगण उप0 नहीं।</p> <p>साथ ही केन्द्रीय पंजीयन के विहित फार्म की प्रति अभियोगपत्र सहित केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।</p> <p>अभियुक्त को सूचनापत्र/समन द्वारा आहूत किया जावे।</p> <p>प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 11.02.17 को पेश हो।</p>	

राष्ट्रीय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
नैनीताल जिला सिविल कोर्ट  
जो 0 एम 0 एफ 0 सी 0

(P.T.O.)



11-2-17

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त रमेश खतीर उप०।

चूंकि मामला संक्षिप्त विचारणीय हैं। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारंभ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 34(3) पुलिस एक्ट भा०दं०सं० /

अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित करवाकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसाद ~~न्यायालय अवसाद~~ 50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान की जाये।

जप्तसुदा संपत्ति X रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति X मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 50/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क्र० 6890 रसीद क्र० 54 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

रमेश खतीर  
J.M.F.C.

SUMM  
IN

Case No. 12

Name and add

रमेश खतीर  
नि०- 2018